UPJL010026612026

Presented on : 18-05-2026
Registered on : 18-05-2026
Decided on : 19-06-2026
Duration : 0 years, 1 months, 1 days

IN THE COURT OF
Spl. Judge SC/ST Act
AT ,Jalaun
(Presided Over by SRI SURESH KUMAR GUPTA)

Bail Application/200083/2026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), जालौन स्थान उरई।

सम्बन्धित नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं0–83/2026

1. हिमांशु उम्र करीब 20वर्ष पुत्र श्री सुबोध निवासी मुहल्ला नया पटेल नगर उरई थाना कोतवाली कोतवाली उरई जिला जालौन। .....(आवेदक/अभियुक्त)

बनाम

1. सरकार उत्तर प्रदेश ..... (लोक अभियोजक)

मुकदमा अपराध संख्या 254/2026
धारा–69, 115(2), 351(2), बी0एन0एस0
धारा 3(2)(v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन।

दिनांक–19.06.2026

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

आवेदक/अभियुक्त हिमांशु उम्र करीब 20वर्ष पुत्र श्री सुबोध निवासी मुहल्ला नया पटेल नगर उरई थाना कोतवाली कोतवाली उरई जिला जालौन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 254/2026 धारा–69, 115(2), 351(2), बी0एन0एस0 एवं धारा 3(2)(v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी/पीड़िता ने तहरीर इस आशय की दी गयी कि वह हिमांशु पुत्र शुबोध न्यू पटेल नगर उरई के साथ 5 वर्ष से रिलेशनशिप में है। उसकी उम्र 19 वर्ष है। पहले हिमांशु ने शादी का झांसा दिया और शारिरिक संबध बनाऐ अब हिमांशु शादी से मना कर रहा है। बोल रहा है कि तुम हरिजन (अहिरवार) हो और में शर्मा (पंडित) हूँ, इसलिए अब मैं तुमसे शादी नही करूंगा और जब उसने शादी के लिये बोला तो मेरे साथ मार पीट की। एक बार इसके साथ भाग गई थी। पैसे जेवरात लेकर फिर मैं पकड़ी गयी, फिर मेरे घर वालों नें मुझे समझाया, फिर मैं मान गई और फिर मम्मी पापा की मरजी से शादी करने लगी थी, तो फिर हिमांशु ने लडके को कॉल करके मेरा रिश्ता तुडवा दिया और कहा कि मैं करूंगा तुमसे शादी, अब शादी के लिए बोला तो ये मना कर रहा है, और मेरे साथ मारपीट की अपने पिता के सामने और इसके दुकान पर वर्कर से गन्दी–गन्दी गाली दिलवाई। मैं छोटी जाति की हूँ। मैं अहिरवार जाति से आती हूँ, और ये पंडित है। इसलिए ये मना कर रहा है और बोल रहा है कि तुम ज्यादा परेशान करोगी तो मैं तुम्हे मरवा डालूंगा, या मैं तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाऊँगा, तब तो मानोगी की धमकी दी मुझे। उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली उरई में अभियुक्त हिमांशु एवं वर्कर नाम पता अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 254/2026

Digitally signed by Suresh Kumar Gupta
Date: 2026.06.30 07:47:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

धारा–69, 115(2), 351(2), बी0एन0एस0 एवं धारा 3(2)(V) एस.सी/एस.टी. एक्ट पंजीकृत किया गया जो विवेचनाधीन है।

जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। वह पूर्णतः निर्दोष हैं, उसने कोई अपराध नहीं किया है। शोषण करने की गरज से साजिशन झूंठा फंसाया गया है। कथित धाराओं की साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित घटना दिनाक, घटना समय, घटना स्थल अंकित नहीं है जबकि किसी अपराध के लिये घटना स्थल घटना दिनांक व समय होना सीमित होता है ताकि कथित घटना का समय दिनांक निश्चित हो सके। कथित पीड़िता की प्रार्थी द्वारा आर्थिक रूप से समय समय पर रूपयों की मदद कर दी जाती थी यहां तक कि उसके पास जो मोवाइल 8595032680 नम्बर है वह प्रार्थी द्वारा खरीदकर दिया गया है, जिसकी रसीद प्रार्थी के पास है और आज भी वह ई०एम०आई० भर रहा है और प्रार्थी ने अपना रूपया व मोवाइल वापिस मांगा तो अनैतिक दबाब बनाने के लिये उक्त झूठा मुकदमा पंजीकृत करवा दिया गया है। कथित घटना की न तो एफ०आई०आर० से और न ही धारा 180, 183 बी०एन०एस०एस० तथा चिकित्सीय प्रपत्रों से संपुष्टि होता है। कथित वाद की पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्वेच्छा से रिलेशनशिप में आना व पूर्व में मुल्जिम के साथ भाग जाना बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा कोई जबरदस्ती या कोई भी घटना कारित नही की गयी है। कथित वाद में एस०एसी०/एस०टी० एक्ट का कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से अपमानित करना अथवा गाली देना नही दर्शाया गया है फिर भी पुलिस द्वारा एस०सी०/एस०टी० एक्ट की धारा में झूठा मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कथित घ ाटना सार्वजनिक स्थान/दुकान की बतायी गयी है, किन्तु जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी का कोई भी पूर्व आपराधिक इतिहास कतई नहीं है। वह दिनांक 07.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। वह जमानत की शर्तो का कोई दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः दौरान मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं वादिनी के स्वतंत्र अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए मुख्यतः कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति की लड़की के साथ उसे शादी का झूंठा आश्वासन देकर उसके साथ बलात्कार किया गया तथा शादी से मना कर उसकी मारपीट व गाली गलौज करते हुए उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया है। अभियुक्त का अपराध अत्यंत गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर आरोप है कि वादिनी/पीड़िता जो 19वर्ष की है और वह पांच वर्ष से अभियुक्त के साथ रिलेशनशिप में रहती थी तथा अभियुक्त ने उसे शांदी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये और शादी से मना कर दिया तथा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में कथन किया है कि उसकी उम्र 19 बर्ष है वह बी0एससी0 ।। में पढती हूँ। हिमांश के साथ पिछले 05 वर्ष से शारीरिक सम्बन्ध भी बनाती रही है। हिमांशु ने उसे शादी का झाँसा दिया फिर जव उसने शादी के लिये बोला तो शादी करने से इन्कार कर दिया और उससे कहा कि वह हरिजन है तथा अभियुक्त पंण्डित है इसलिए शादी नही कर सकता तथा उसके साथ मारपीट की। उसकी शादी तय हुई तो उसकी शादी तुड़वा दी और कहा कि तुमसे शादी करूंगा और फिर से शारीरिक सम्बन्ध बनाये और मैं 1 माह की प्रगनेन्ट हो गयी मुझे बच्चा गिराने वाली दवा पिला दी। पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में कथन किया है कि मेरी उम्र 19 वर्ष है वह पिछले 05 साल से हिमांशु से प्यार करती है। हिमांशु ने शादी करने का वादा किया था, मैं हिमांशु के साथ हेवन होटल मे गयी वहाँ हम दोनो के बीच शारीरिक संबंध बने थे, फिर वह मुझे नोयडा ले गया हम

दोनो नोयडा मे 2–3 दिन होटल में रहे। वह अपनी मर्जी से बस मे गयी थी। अब हिमांशु शादी करने से मना कर रहा है। हिमाँशु अब मुझे चमार कह के बोलता है और शादी को मना कर रहा है। मेरा रिश्ता कही और हुआ था तब हिमाँशु ने मेरी शादी तुडवा दिया। मैं हिमाँशु से शादी करना चाहती हूँ। इस प्रकार पीड़िता ने अपनी साक्ष्य या तहरीर में यह कहीं भी नहीं कहा कि अभियुक्त द्वारा उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की गयी या शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया गया। हिमांशू ने हांथी मंदिर के पास थप्पड मारा था। हिमांशु के पापा ने उसे गालियां दी थीं। पीड़िता ने अपने बयान धारा 180 में स्वयं को एक माह की प्रेग्नेन्ट हो जाना तथा अभियुक्त द्वारा बच्चा गिराने वाली दबा पिलाने का कथन किया है किन्तु तहरीर अथवा अपने बयान धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में पीड़िता ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है। विवेचक द्वारा स्वतंत्र गवाहों की साक्ष्य अंकित की गयी है, जिनमें धर्मेन्द्र द्विवेदी, मंजीत पाल, विकास व मो0 कैफ अली आदि हैं, जिन्होंने अपनी अपनी साक्ष्य में मुख्यतः कथन किया है कि पीड़िता अभियुक्त से प्रेम संबंध बनाये है तथा अभियुक्त व उसके पिता की दुकान पर बार बार रूपये मांगने आ जाती थी । अभियुक्त के पिता सुबोध ने रूपये देने से मना कर दिया तब पीड़िता ने अभियुक्त व उसके पापा सुबोध पर गलत आरोप लगा दिये और हिमांशु को झूंठा जेल भिजवा दिया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण हुआ है, जिसमें पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार करने की पुष्टि नहीं हुई है। पीड़िता की स्वयं की साक्ष्य तथा विवेचक द्वारा दौरान विवेचना एकत्रित साक्ष्य से पीड़िता वयस्क पायी गयी है। पीड़िता ने स्वयं ही अपनी साक्ष्य में सहमति से यौन सम्बन्ध बनाने का कथन किया है। अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा दिया जाना बताया गया है किन्तु अभियुक्त द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा कब और किस स्थान पर किस व्यक्ति के सामने दिया गया, का कोई स्पष्ट कथन पीड़िता ने अपने बयान में नहीं किया है। अभियुक्त दिनांक 07.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा प्रकरण के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, इस स्तर पर उसे सशर्त जमानत दिये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तदनुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त हिमांशु उम्र करीब 20वर्ष पुत्र श्री सुबोध निवासी मुहल्ला नया पटेल नगर उरई थाना कोतवाली कोतवाली उरई जिला जालौन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 254/2026 धारा–69, 115(2), 351(2), बी0एन0एस0 एवं धारा 3(2)(V) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को उसके द्वारा मुव0 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) की धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता है कि :–

1– अभियुक्त द्वारा वादी व उसके साक्षियों को डराया या धमकाया नहीं जायेगा और न ही साक्ष्य के साथ कोई छेड़–छाड़ करेगा।

2–न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और विचारण में सहयोग प्रदान करेगा।

दिनांकः–19.06.2026

(सुरेश कुमार गुप्ता)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
जालौन स्थान उरई।
जे0ओ0कोड–यू0पी0–2414,